न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 02/20 जी.सी.एम.एस. 2020/00005

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलाना तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलाना तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

प्रतिवादी 01 स्वयं

प्रतिवादी नबंर 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक–

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा के खसरा नबंर 155 की 3.18 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिसमें से 2.87 है0, कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से व 0.31 कृषि भूमि जिसके खसरा नबंर 176/155 है, प्रतिवादी नबंर 01 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2008 के द्वारा विभाजित हुई है, उक्त आदेश में उक्त कृषि भूमि के साथ–साथ अन्य कृषि भूमियों का भी आपसी सहमति से विभाजन किया गया था।

यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मानसिंह बनाम देवीसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.06. 2008 में प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादी 01 के पक्ष में दी गई 0.31 है0, कृषि भूमि में स्थित उत्तर पश्चिम कुएं के बाबत यह अंकित किया गया था, कि उक्त कुंआ सम्मलित रहेगा।

यह कि ग्राम माधोपुर में स्थित खसरा नबंर 155 की 3.18 है0, भूमि का विभाजन वादी व देवीसिंह तथा प्रतिवादी नबंर 01 के मध्य किया गया था, तथा उक्त विभाजन के फलस्वरूप वादी व देवीसिंह के हिस्से में खसरा नबंर 155 की रकबा 2.87 है0, भूमि व प्रतिवादी नबंर 01 के हिस्से में खसरा नबंर 176/155 की रकबा 0.31 है0, भूमि दर्ज की गई है, लेकिन उक्त भूमि में स्थित कुएं को , जो कि सम्मलित रहना तय हुआ था, को केवल मात्र प्रतिवादी नबंर 01 के नाम से खसरा नबंर 154 की 0.01 है0, के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

दर्ज कर दिया गया, उक्त कुएं का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में केवल मात्र प्रतिवादी नबंर 01 के नाम से दर्ज किया जाना अवैधानिक है, तथा उक्त अवैधानिक इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी द्वारा वाद पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदार घोषणा की डिक्री प्रदान की जाकर वादी को ग्राम माधोपुर तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 154 की 0.01 है0, गै0मु0चाह में 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्त करते हुये प्रतिवादी नबंर 01 के साथ सम्भाग में दर्ज किया जावेंश

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण की तलवी की गई, प्रतिवादी नबंर 01 व वादी ने दिनांक 29.07.2021 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माधोपुर के खसरा नबंर 154 की रकबा 0.01 है0, आराजी में स्थित चाह दोनों पक्षों के बांटबराबर अर्थात प्रत्येक पक्षकार का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं, दोनों पक्ष एक दुसरे के हिस्से में पानी लेने मे कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगें।

राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया, पक्षकारों द्वारा राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की गई।

वादी व प्रतिवादी नबंर 01 के मुताबिक राजीनामा अनुसार ग्राम माधोपुर के खसरा नबंर 154 की रकबा 0.01 है0, आराजी में स्थित चाह दोनों पक्षों के बांटबराबर अर्थात प्रत्येक पक्षकार का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना व दोनों पक्षों का इसका उपयोग–उपभोग करने बाबत डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है ग्राम माधोपुर के आराजी खसरा नबंर 154 की रकबा 0.01 है0, में स्थित चाह को वादी नबंर 01 व प्रतिवादी नबंर 01 के 1/2 हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

राजेश डागा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी कनवास

जिला कोटा

Page no 2

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

नरेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलाना तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलाना तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन

प्रतिवादी 01 स्वयं

प्रतिवादी नबंर 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

मुकदमा नं. 02/20 तारीख फैसला 29.07.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री सतेन्द्र कुमार गुप्ता** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि आराजी ग्राम माधोपुर के आराजी खसरा नबंर 154 की रकबा 0.01 है0, में स्थित चाह को वादी नबंर 01 व प्रतिवादी नबंर 01 के 1/2 हिस्से में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... **X** ...मुबलिग ... **X** ... बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **29 माह जुलाई सन् 2021** को जारी की गई।

मोहर ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

Page no 3

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)